# राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(म0प्र0 का तकनीकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर के पास, भोपाल–462033
फोन नं. 0755– 2734913, 2678875, फेक्स नं. 0755– 2742006
बेबसाईट–http://www.rgpv.ac.in

## एन.एल.ई.ई.–2011

| | |
|---|---|
| 1. ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारंभ तिथि | 28 / 07 / 2011 |
| 2. ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि | 16 / 08 / 2011 |
| 3. ऑनलाईन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि | 18 / 08 / 2011 |
| 4. परीक्षा तिथि | 21 / 08 / 2011 रविवार |
| 5. परीक्षा शुल्क | अनारक्षित श्रेणी / अपिव के लिए–1000 / – अजा / अजजा (मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी मध्यप्रदेश के) के लिए– 500 / – |

### समय सारणी

| परीक्षा दिनांक, दिन | समय | प्रश्नों की संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 21 अगस्त 2011 रविवार | प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे | 150 | गणित + भौतिकी + रसायन |

**नोट :–**

- परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनिट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुंचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थी को परीक्षा उपरांत परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अपनी उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना अनिवार्य हैं।
- सेल्यूलर / मोबाईल फोन, एम.पी–3 / एम.पी.–4, अन्य इलेक्टॉनिक्स गैजेट, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है

# एन.एल.ई.ई.–2011

## विषय सूची

### अध्याय – 1
### निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम


| स.क्रं. | विवरण | नियम क्रमांक | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया | 1.2 | 5 |
| 2 | आवेदन–पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ व हस्ताक्षर के संबंध में निर्देश | 1.3 | 6 |
| 3 | ऑनलाईन आवेदन–पत्र की स्क्रुटिनी के संबंध में | 1.4 | 7 |
| 4 | ऑनलाईन आवेदन–पत्र के निरस्तीकरण | 1.5 | 7 |
| 5 | प्रवेश–पत्र | 1.6 | 8 |
| 6 | परीक्षा शहर | 1.7 | 8 |
| 7 | परीक्षा कक्ष में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री | 1.8 | 8 |
| 8 | अनुचित साधन | 1.9 | 9 |
| 9 | परीक्षा पद्धति | 1.10 | 10 |
| 10 | पाठ्यक्रम | 1.11 | 10 |
| 11 | मूल्यांकन पद्धति | 1.12 | 10 |
| 12 | परीक्षा परिणाम का प्रकाशन | 1.14 | 11 |

# अध्याय – 2

# प्रवेश नियम

# एन.एल.ई.ई.– 2011


| स.क्रं. | विवरण | नियम क्रमांक | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सीटों का आरक्षण | 2.2.1 | 13 |
| 2 | विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण | 2.2.2 | 13 |
| 3 | मूल निवासी की आवश्यकता | 2.5 | 15 |
| 4 | शैक्षणिक अर्हताएँ | 2.7 | 16 |
| 5 | योग्यता क्रम सूचियाँ | 2.8 | 17 |
| 6 | प्रवेश का क्रम | 2.10 | 17 |


# अध्याय – 3

## प्रमाण–पत्रों के प्रारूप – पृष्ठ क्रं. 20 से 30 तक

# अध्याय – 4

## पाठ्यक्रम – पृष्ठ क्रं. 31 से 38तक

# एन.एल.ई.ई.–2011

## अध्याय – 1
## निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

राजीव गाँधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में वर्ष 2011–2012 से पाँच वर्षीय ड्यूल डिग्री इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय भारत के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन (एन. एल.ई.ई.–2011 परीक्षा) का आयोजन कर रहा है। इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाऐगा (कृपया नियम 2.2.1 एवं 2.2.2 देंखे)।

तालिका–1

| स.क्र. | विभाग | अनारक्षित | अपिव | एस.सी. | एस.टी. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सिविल | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 2. | मेकेनिकल | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 3. | इलेक्ट्रीकल | 10 | 3 | 3 | 3+1(H) |
| 4. | कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग | 10 | 3 | 2+1(H) | 4 |
| 5. | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यु. इंजी. | 9+1 (H) | 3 | 3 | 4 |
| | कुल– | 50 | 14 | 16 | 20 |

H-अर्थात् Physically Handicapped (कृपया नियम 2.2.2)

**पाठ्यक्रम फीसः** इस पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस रू. 30,000/– है। इसके अलावा प्रथम सेमेस्टर में अन्य फीस, जो विश्वविद्यालय में वर्तमान में ली जा रही है, देय होगी।

**प्रवेश रद्दीकरणः–** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद रद्दीकरण के पश्चात् फीस वापिस करने के नियम निम्नानुसार हैः–

(i) यदि कोई उम्मीद्वार प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व अपना प्रवेश निरस्त कराता है, तो उसकी जमा की गई फीस (ट्यूशन एवं अन्य) का 10% काटकर वापिस की जायेगी।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार जो प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अपना प्रवेश निरस्त कराता है, तो उसे कोई भी फीस (कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं की जायेगी।

**ब्राँच अपग्रेडेशनः–**

प्रथम वर्ष के पश्चात् इस पाठ्यक्रम में विभिन्न विभागों में सीट खाली होने पर म.प्र. शासन के नियमानुसार छात्रों के प्रथम वर्ष के थ्योरी परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर ब्राँच अपग्रेडेशन संभव है।

**आवश्यक सूचनाः–**

पाँच वर्षीय ड्यूल डिग्री इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम की अवधारणानुसार सभी उत्तीर्ण छात्रों को पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ड्यूल डिग्री (बी.ई. तथा एम.टेक.) की पात्रता होगी।

**महत्वपूर्णः–** ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा। यदि सत्यापन के समय पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी दी है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, अथवा यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया हैं, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्ध किया जा सकेगा।

**1.1** ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः–

आवेदक का फोटोग्राफ व हस्ताक्षर

**1.2** ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया :–

(1) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट http//admission.rgpv.ac.in का उपयोग करें।

(2) उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने संबंधी निर्देशों को भलीभांति पढ़ने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें।

(3) ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रिन्ट प्रति एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के साथ विश्वविद्यालय के पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित करें। यह आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पूर्व विश्वविद्यालय कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये।

आवेदन पत्र के लिफाफे के दाऐं कोने पर स्पष्ट रूप से एन.एल.ई.ई.–2011 अंकित करें। आवेदन पत्र निम्न पते पर जमा करें:–

**रजिस्ट्रार**
**राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**
**(म0प्र0 का तकनीकी विश्वविद्यालय)**
**एयरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर के पास, भोपाल–462033**

(4) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सकें।

**1.3** आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश :–

(i) आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन अवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय किये जाने होगें, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।

(viii) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में किये गये हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

## 1.4 ऑनलाईन आवेदन–पत्र की स्क्रुटनी :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की ही स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

| स.क्रं. | विवरण |
|---|---|
| 1 | अभ्यर्थी का फोटोग्राफ |
| 2 | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
| 3 | श्रेणी |
| 4 | मूल निवासी |

उपरोक्त जानकारी रिक्त/अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा। चयन उपरांत उपरोक्त सभी जानकारियों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय मूल दस्तावेंजो से किया जायेगा।

## 1.5 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के निरस्तीकरण के संबंध में जानकारी :–

(i) जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ फोटोग्राफ प्राप्त नहीं होता हैं, उसका ऑनलाईन आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा इसे किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने ऑनलाईन आवेदन कर दिया है, परन्तु जिनका ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्ट प्रति निर्धारित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होता है, ऐसे सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

(iii) निरस्त किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट http//www.rgpv.ac.in पर उपलब्ध कराई जायेगी।

## 1.6 परीक्षा प्रवेश–पत्र

विश्वविद्यालय कार्यालय में नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट http//www.rgpv.ac.in पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए डाउनलोड कर सकते है। बिना प्रवेश–पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**महत्वपूर्ण** – प्रवेश–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने या वापस लेने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

## 1.7 परीक्षा शहर :– यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी :–

| मध्यप्रदेश के परीक्षा शहर :– | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 भोपाल | 2 ग्वालियर | 3 इन्दौर | 4 जबलपुर | 5 रीवा |
| 6 सागर | 7 उज्जैन | 8 रतलाम | – | – |
| मध्यप्रदेश से बाहर के परीक्षा शहर :– | | | | |
| 1 इलाहाबाद | 2 नई दिल्ली | 3 रायपुर | | |

किसी परीक्षा शहर में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है।

## 1.8 परीक्षा कक्ष में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

(1) विश्वविद्यालय की वेबसाईट http//www.rgpv.ac.in से डाउनलोड/प्रिंट किया हुआ प्रवेश–पत्र।

(2) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(3) नॉन प्रोग्रामेबल केल्कुलेटर

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री जैसे कि सेल्यूलर/मोबाईल फोन, एम. पी– 3/एम.पी.–4, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, लॉग टेबल, रफ पेपर, आदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में नहीं पाई जाना चाहिए अन्यथा अभ्यर्थी पर U.F.M. (Un Fair Means) प्रकरण दर्ज किया जा सकता है तथा परीक्षा में बैठने से भी वंचित किया जा सकता है।

1.9 **अनुचित साधन (यू.एफ.एम.)** :– निम्नलिखित में कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जायेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष मे अन्य परीक्षाथी से किसी प्रकार का संपर्क।

(ख) अपने स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य किसी प्रकार से संपर्क साधना।

(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उतरशीट या प्रश्नापुस्तिका की अदला–बदली करना।

(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(ज) नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों /प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवलहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(त्र) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों, अथवा, अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य जिसे पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माने, उस स्थिति में, अभ्यर्थी पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत माने जाने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व (Examinee-ship) निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा के दौरान किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(ठ) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि

के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

**1.10 परीक्षा पद्धतिः–**

एन.एल.ई.ई.–2011 परीक्षा हेतु 150 प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगें। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल पॉइंट पेन से काला करना होगा।

**1.11 पाठ्यक्रमः–**

एन.एल.ई.ई.– 2011 परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय–4 में दर्शाया गया है।

**1.12 मूल्यांकन पद्धतिः–**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 2 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

**1.13.1** त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिये गये अंकः–

परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाऐगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जायेगा। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैंः–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हो।

5. प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न – पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में विश्वविद्यालय अंक प्रदान करेगा। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया है या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते है और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यार्थी 148 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{90X150}{(150-2)} = 91.216 \text{ rounded of to } 91.22$$

नोटः– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंड ऑफ किया जायेगा।

**1.13.2 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–**

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–9 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत 2 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में बिन्दु क्रमांक 1.13.1 अनुसार त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम आदर्श उत्तर (Model Key) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

**1.14 परीक्षा परिणाम का प्रकाशनः–**

अध्याय–1 एवं 2 में उल्लेखित परीक्षा एवं प्रवेश नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यार्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://www.rgpv.ac.in पर उपलब्ध होगी।

**1.15 अंक सूचीः–**

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को अंकसूची का डाक द्वारा प्रेषण नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अपनी अंकसूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट वेबसाईट http://www.rgpv.ac.in से रोल नम्बर के आधार पर डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा।

**1.16 डुप्लीकेट अंकसूचीः–**

डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्र. 1.15 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकते है।

**1.17 प्रवेश निरस्तीकरणः–**

यदि यह पाया जाता है, कि कोई उम्मीदवार विश्वविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है, कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय उसके अध्ययनकाल के दौरान, बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

**1.18 विश्वविद्यालय का दायित्वः–**

एन.एल.ई.ई.–2011 संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। विश्वविद्यालय अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

**1.19** परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत किसी भी कारण से ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी में कोई भी संशोधन मान्य/स्वीकार नहीं होगा।

**1.20 क्षेत्राधिकारः:–**

परीक्षा संचालन संबंधी किसी भी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

# अध्याय–2

# एन.एल.ई.ई.–2011

# प्रवेश नियम–2011

**2.1 परिभाषायें :–**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हों :–

1. ''एन.एल.ई.ई.'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थातः 'नेशनल लेवल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन'।
2. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है।
3. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है।
4. ''सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)'' (Registrar R.G.P.V.)
5. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.200 को अस्तित्व में आया है।
6. ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है इन चार श्रेणीयों में से एक अर्थात अनारक्षित (UR), म.प्र. राज्य की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछडा वर्ग (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) से है।

2.2.1 **सीटों का आरक्षणः–** विश्वविद्यलय के पांच वर्षीय डयूल डिग्री इन्टीग्रेटड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों के उपलब्ध सीटों सीटों में से क्रमशः 16%, 20% तथा 14% प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, अभिभावक का शपथ–पत्र (प्रारूप–1) एवं आय प्रमाण–पत्र आवश्यकतानुसार प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे। शेष 50 प्रतिशत सीटों के लिए म.प्र. मूल निवासी की पात्रता नहीं होगी। शेष 50% सीटों के लिए म.प्र. के मूल निवासी की बाध्यता नहीं होगी।

2.2.2 **विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षणः**– कुल प्रवेश क्षमता की 3% सीटे (प्रत्येक श्रेणी में) विकलांग (Physically Disabled) अभ्यार्थियों

के लिए आरक्षित होगी। 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार ही इस आरक्षण के पात्र होंगे।

इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रवेश के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलागों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent Vocational Rehabilittion Centre for Physically handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

2..3 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) , अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :– मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश परीक्षा पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्र. एफ 7–2/96/अ.प्र./एक दिनांक 01 अगस्त 1996 देखे)

2.4 मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी– :– मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखे मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्र. एफ–7–2/96/आप्र/एक दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ –7–16/2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000) तथा शासन द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में जारी किए गए नवीन दिशा निर्देश।

2.5 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें

1) जो भारत का नागरिक हो।

2) (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षो की अवधि मे मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप –4 में)

**अथवा**

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप –5 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

**अथवा**

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप–6 में )

**अथवा**

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कमचारी भी सम्मिलित है) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप–7 में)

**अथवा**

(3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप–8 में )

**स्पष्टीकरण –1** अभिभावक :– किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक /नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से

तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण –2** दत्तक पुत्र/पुत्री : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र /पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र /पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो। दत्तकनामा तब तक मान्य नही किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय /महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षो से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नही हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2.6 उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो।

2.7 **शैक्षणिक अर्हता** (Educational Qualification):– पांच वर्षीय डयूल डिग्री इन्टीग्रेटड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी तथा रसायन के साथ स्वतंत्र रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

**नोटः**

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम श्रेणी का बंधन लागू होगा।
2. एन.एल.ई.ई.–2011 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2010–11 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

## 2.8 योग्यता क्रम सूचियाँ–

उम्मीदवार द्वारा एन.एल.ई.ई.–2011 में प्राप्तांकों के आधार पर पांच वर्षीय डयूल डिग्री इन्टीग्रेटड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Consolidated Merit List) के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियाँ तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किये जावेंगे।

2.9 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्पारिक प्रावीण्यता (Interse Merit):–

एन.एल.ई.ई.– 2011 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उममीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्रापतांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी।

प्रथम– गणित

द्वितीय– भौतिकी

**टिप्पणीः–**

1. सभी प्रश्न पत्रों में एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

## 2.10 प्रवेश का क्रम :–

1. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नलिखित कम से सीटों का आवंटन किया जायेगाः आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नलिखित कम से सीटों का आवंटन किया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकेः –

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

2. आरक्षित श्रेणी के उपरोक्त क्रमानुसार आवंटन सचांलित करने के पश्चात्, रिक्त स्थान, यदि कोई हो, को, अनारक्षित श्रेणी में संविलीयन किया जायेगा। तब अनारक्षित स्थानों के लिये आवंटन प्रक्रिया प्रारभं की जाएगी। आरक्षित श्रणेी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से उनकी पसदं की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

# अध्याय–3

# प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

## प्रारूप–1

(देखे नियम 2.2.1)

# उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र

(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

| | | |
|---|---|---|
| नाम | : | ..... |
| पिता का नाम | : | ..... |
| अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु. का क्रमांक) | : | ..... |
| धर्म | : | ..... |
| व्यवसाय | : | ..... |
| पता | : | ..... |

**मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–**

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/ 342 के अंतर्गत जिला ..... (म.प्र.) के लिये घोषित ..... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/ की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ..... के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक ..... को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी– जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

## प्रारुप–2 (अ)
(देखे नियम 2.3)

# अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण –पत्र
**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक .....प्रकरण क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....

## जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पिता/पति का नाम ..... निवासी ग्राम/नगर.....वि.खं..... तहसील .....जिला.....संभाग.....के ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .....पर अंकित हैं। अतः श्री/श्रीमति/कुमारी..... पिता/पति का नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिक श्री/श्रीमति/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए .....है।

दिनांक.....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

**टिप्पणी** (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से सिंबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा जारी किये गये प्रमाण– पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ., (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अविभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायो के सदस्यो द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

## प्रारुप – 2 (ब)
(देखे नियम 2.3)

# अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र
## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक .....प्रकरण क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....

## जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी..... पिता/पति का नाम .....निवासी ग्राम/नगर..... ..... संभाग.....के .....जाति/जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुछेद 341 के आधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित हैं। अतः श्री/श्रीमति/कुमारी..... .....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमति/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए .....है।

दिनांक.....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण –पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

## प्रारूप–3 (अ)
(देखे नियम–2.4)

# मध्यप्रदेश की अन्य पिछडे वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

## स्थायी प्रमाण पत्र
## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
## (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .....जिला .....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक .. .....प्रकरण क्रमांक .....प्रमाण पत्र क्रमांक .....

## जाति प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी ग्राम /शहर .....तहसील .....जिला .....मध्यप्रदेश के निवासी है जो .....जाति के है जिसे पिछडा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसुचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना एफ8–5 क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री .....और /या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला .....संभाग .....में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नही आते हैं। जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम –3 में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1–आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ई'' की अनुसूचित के कॉलम (3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती /कुमारी .....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .....है ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक .....को प्रवजन कर चुका है ।

दिनांक .....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणित अधिकारी का नाम
पदनाम

## प्रारूप–3 (ब)
(देखे नियम 2.4)

## मध्यप्रदेश की अन्य पिछडे वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये जाने वाले प्रमाण पत्र

## अस्थायी प्रमाण पत्र
## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
## (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .....जिला .....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक .....
प्रकरण क्रमांक .....प्रमाण पत्र क्रमांक .....

## जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी ग्रम /शहर .....तहसील .....जिला .. .....मध्यप्रदेश के निवासी है जो .....जाति के है जिस पिछडा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसुचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसुचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री .....और /या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला .....संभाग .....में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नही आते हैं। जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र. 380/2/22/93 स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम –3 में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1–आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ई'' की अनुसूचित के कॉलम (3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती /कुमारी .....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .....है ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक .....को प्रवजन कर चुका है ।

**दिनांक .....**
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणित अधिकारी का नाम
पदनाम

## प्रारूप–4

(देखे नियम 2.5)

# वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांकः ..... दिनांकः . .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री ..... जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष ..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था ..... (संस्था का नाम) में सत्र ..... से सत्र ..... तक अध्ययन किया है।

स्थानः– ..... संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

दिनांकः–..... नाम एवं पद .....

(कार्यालय सील)

## प्रारूप–5

(देखे नियम 2.5 ख)

# वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांकः ..... दिनांकः .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री ..... जो तहसील..... जिला ..... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह –

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है।

अथवा

2. यह / उसका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते है। इसके अतिरिक्त
   1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

   अथवा

   2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं / बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

स्थानः ..... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः ..... (कार्यालय सील)

टिप्पणीः जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

## प्रारूप–6

(देखे नियम 2.5 ग)

# वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांकः ..... दिनांकः . .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपालद्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... ..... वर्ष ..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती ..... का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो ..... विभाग में ..... पद पर ..... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

(ख) जो ..... विभाग में ..... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो ..... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो ..... विभाग में ..... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा मे रहते हुए ..... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो ..... विभाग में ..... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थानः ..... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः ..... (कार्यालय सील)

## प्रारूप–7

(देखें नियम 2.5 ग)

# वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांकः ..... दिनांकः .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री ..... जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष ..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती ..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2011 अथवा उसके पूर्व की तिथि ..... से मध्यप्रदेश में स्थित ..... विभाग में ..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थानः .....
दिनांकः .....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद .....

(कार्यालय सील)

## प्रारूप–8

(देखें नियम 2.5 ग)

# मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांकः ..... दिनांकः .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री ..... जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष ..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती ..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो ..... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना है।

स्थानः .....

दिनांकः .....

हस्ताक्षर कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट

नाम एवं पद .....

(कार्यालय सील)

## प्रारूप–9

(देखें नियम 1.13.2 )

# प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं एन.एल.ई.ई.–2011 की परीक्षा में अनुक्रमांक .....से परीक्षा केन्द्र ..... से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ। मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड ..... के सेट क्रमांक ..... हल किया गया है। इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैः–

| स0क्र0 | प्रश्न क्रमांक | त्रुटि का विवरण | ससाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण | संलग्नक क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलगन प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षरः .....

आवेदक का नाम .....

परीक्षा का नाम .....

अनुक्रमांक .....

परीक्षा केन्द्र का नाम .....

स्थान .....

दिनांक .....

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा )

# अध्याय–4
# विस्तृत पाठ्यक्रम

# SYLLABUS FOR N.L.E.E.-2011

## 1. MATHEMATICS

### ALGEBRA:

Algebra of Complex numbers, Graphical representation of complex numbers modules, argument of complex numbers, conjugate of a complex number, triangle inequality, cube roots of unity, arithmetic, geometric and harmonic progression. Arithmetic, geometric and harmonic means between two numbers. Sum of squares and cubes of first natural numbers. Theory of equation, relations between roots and coefficients. Quadratic expressions, quadratic equations in one variable, permutations and combinations. Bionomial (any index) theorem, exponential and logarithmic series, determinants up to third order and their order and their elementary properties matrices types of matrices, adjoint and inverse of matrix, elementary applications in solving simultaneous equation upto three variables.

### TRIGONOMETRY:

Trigonometry functions and their graphs, addition and subtraction formulae; formulae involving multiple and submultiple angles, general solutions of trigonometrical equations, relation between sides and angles of a traingle. Solution of traingles, inverse trignometrical functions, height and distance (simple problems).

### CO-ORDINATE GEOMETRY OF TWO DIMENSIONS:

Cartesian coordinates, straight line, pair of straight lines, distance of a point from a line, angle between two lines.

Circle, tangents and normals, system of circles.

Conic section, parabola, ellipse and hyperbola in standard forms with elementary properties, tangents and normals.

### CO-ORDINATE GEOMETRY OF THREE DIMENSIONS:

Rectangular co ordinate system, direction cosines and direction ratios, equation of plane in standard forms. Perpendicular distance from a point, equation of a line, angles between two lines.

## VECTOR ALGEBRA:

Definition of vector, addition of vector, components in three dimensional space, scalar and vector products. triple products, simple applications in geometry and mechanics.

## DIFFERENTIAL CALCULUS:

Function, polynomial, rational trignometric, logarithmic and exponential, inverse functions. Limit continuity and differentiability of functions, differentiation of rational, trigonometric and exponential functions. Application of derivative in elementary problem in mechanics, increasing and decreasing functions. Maxima and Minima of function of one variable, Roll's theorem and mean value theorem, Tangend and normal.

## INTEGTRAL CALCULUS:

Integration as the inverse process of differentation, integration by parts, substitution and by partial fraction, definite integral. Areas under simple curves.

## DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Formulation of differential equations, order ‘n’ and degree of differential equations, solution of differential equations by separation of variable method. Homogeneous form linear differential equation of first order.

## STATISTICS:

Probability addition and multiplication laws, conditional probability, Binomial distribution, simple problems in correlation and regression.

## NUMERICAL METHODS:

Solution of equation by the method of bisection, false position and Newton-Raphson. Numerical integration by trapezoided and Simpson's rule.

## LINEAR PROGRAMMING:

Definition and formation of linear programming problems, solution by graphical method.

----------x----------

## 2. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S. I. Units, Motion in two dimensions (cases of uniform velocity and uniform acceleration), general relation among position and velocity, uniform circular motion and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy. Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and emperature.

Specific heats for constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. wavemotion, principle of superposition, progressive and stationery waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference , Young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for and electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr’s model of an atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, mass energy relation, fissions, X-rays, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction.

Bar magnets, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field , tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff’s laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheatstone bridge, potentiometer.

Measurement of voltage and current.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity, Biot Savart law, magnetic fields due to a straight wire, circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, force between two current carrying conductors, moving coil galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faraday’s law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating current, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementrary idea of dynamo and transformer.

----------x----------

## 2. CHEMISTRY :

## GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, Hybridization (sp): hydrogen bond: shapes of molecules( VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT and MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non- ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections(point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: radiocarbon dating.

Chemical equillibrium: chemical equillibrium, law of mass action: Kp and Kc: Le Chatelier principle and its applications.

Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: instrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of themodynamics: free energy:

spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's law: voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernest equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

**INOGRANIC CHEMISTRY:**

Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases.

Transition metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

**ORGANIC CHEMISTRY:**

Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical and chemical properties, correlation of physical properties with structural properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz dicholorothanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T, benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

----------x----------